न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय परिवाद पत्र सं -1034c/99

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीआईएस संख्या -997/15

अरेराज, पूर्वी चम्पारण। आदेश दिनांक 20.06.2024

रविनंदन कुमार बनाम सितावी महतो

वाद पुकारा गया। मामला उपस्थिति पर निर्धारित है प्रस्तुत मामले में यह परिवाद वर्ष 1999 को न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध 323, 379, 324/34 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया । तत्पश्चात अभियुक्त उपस्थित होकर जमानत लिए । दिनांक 12.07.2001 को अभियुक्तों के विरुद्ध भा0द0वि0 323, 379, 324/34 आरोप का गठन किया गया। मामले में साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात प्रस्तुत वाद दिनांक 28.10.2009 से बहस पर निर्धारित किया गया लगातार अभियुक्तों की उपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2017 को अभियुक्तों का बंधपत्र खण्डित किया गया। मामले में अजमानतीय अधिपत्र दिनांक 18.09.2017 को निर्गत हुआ। दिनांक 20.02.2024 को द0प्र0सं0 की धारा 82 निर्गत हुआ। दिनांक 09.04.2024 को मामले में द0प्र0सं0 की धारा 83 निर्गत किया गया । परंतु मामले में अभियुक्त उपस्थित नहीं हुए। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की उपस्थिति की कोई संभावना नहीं है अतः मामले में अभियुक्तगण 1. **सिताबी महतो वल्द पोषण महतो 2. मरोछो देवी जौजे सिताबी महतो, 3.सीता देवी पुत्री सिताबी महतो, 4. माधुरी देवी जौजे अम्बिका महतो सभी साकिन दामोदरपुर थाना मलाही , जिला पूर्वी चम्पारण** को माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 952/1979 के छः सूत्रीय दिशा–निर्देशों के आलोक में **फरार** घोषित किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि स्थायी अधिपत्र निर्गत करें तथा तत्पश्चात अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

मनीष कुमार पाण्डेय
ए0सी0जे0एम0
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।